


बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
-:आदेश:-

संख्या-08/स्था0 (अभि0)-01 (स्थाना0)-03/2024- 2948 /पटना-15, दिनांक-29/5/26

श्री इन्द्रजीत सिंह (आई०डी० संख्या-5253), उप निदेशक (कार्यकारी प्रभार), बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना को पश्चिमी गंडक नहर परियोजना (सारण मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणाली) के पुनर्स्थापन (ई०आर०एम०) कार्य अन्तर्गत नव प्रावधानित कार्यों के निष्पादन हेतु Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) से ऋण प्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने निमित्त अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता हैं।


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. इस आदेश के तहत किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(कुमुद रंजन)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-08/स्था0 (अभि0)-01 (स्थाना0)-03/2024- 2948 /पटना-15, दिनांक- 29/5/26

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/संबंधित पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव (प्रबंधन)